

20 8 9

यह अनुमति केवल (A) या (B) प्रकार योजना और विकास में। 173 की धारा 14 के अन्तर्गत ही होती है। किन्तु इसका अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस धारा के अन्तर्गत ही हमें पर सरकार को इस किसी प्रकार या किसी सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा कर्म के परामर्शपूर्ण अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विनिर्माण या स्वामित्व के अधिकारों के विना कोई प्रभाव न रखेगी।

विश्वीय विकास अधिकारों के अन्तर्गत पर अनुमति दी जाती है कि सीमाएँ। श्री 173/174/175

विधानसभा का नाम श्री श्री गुरुदास संख्या २२६ बी.जा. ५५५१
 वर्ष १९५५ में पहले में दर्जित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपर्युक्त के विनिर्दिष्ट ध्यान
 दिए अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया गया है।

मृत

20



नगर अभियन्ता (मजल)
शिक्षा वर्कशॉप द्वारा।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट - 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आवागमन के लिये नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिराकर जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण खर्च का भार प्राचीन पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, छौप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शों में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछाई अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियम 15 (1) को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना। सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा ।

अनुमति-पत्र

Weg _____ **Zugang** zum Film

Figure 1

[illegible]

विद्यार्थी के नाम की गणित परीक्षा के अंकों का संख्या 7.5 (7.5/10) है।
 यह गणित के विभिन्न भागों
 में अच्छे से समझा गया है जो अंकों का के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।
 विद्यार्थी के विद्यार्थी के अंकों का विवरण दिया गया है।



Downloaded At: 11:53 11 September 2009



जंगल अभिव्यक्तता (परम)
विकासी प्राधिकरण, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह सहीदृष्टि यह केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुबूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे कब से परिचालित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जाये। इसका पूर्ण खर्च का भार प्राप्ति पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पर मैं सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झीव वगैरे अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस ऊँचाई फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, वही प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि माली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगनाड़े दिखाई अथवा उसके आकार के कारण टक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी जाय तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं माना जायेगा।

• १५-१२ अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा

— ५५५ —

वाराणसी विकास क्षेत्र. वाराणसी

अनुमति-पत्र

दिनांक 11/11/2011

सं. 82/न० अ० वि०

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिगत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री. श्री. सु. सु. सु.

पिता/पति का नाम श्री. श्री. सु. सु. सु. आराजी संख्या 286 मौजा कुशी
जहाँ नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विहित भवन
विवरण अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

कार्यालय नगरीय विकास

दिनांक 11/11/2011 से 20 तक



नगर अभियन्ता (मयका)
विकास प्रोजेक्शन, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट: 1. यह स्वीकृति केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है।

यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी, नजूल भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दी गई हो, यह भी अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

Section 5464-2000

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल आ धा नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है। किन्तु इसका अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक अधिकारी या व्यक्ति अथवा धर्म के प्रतिष्ठानों अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अथवा यह अनुमति किसी के भवितव्य या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री सुश्री

दिनांक/प्रति का नाम की श्रीमती सु. लाला संख्या 296 मौजा ...
 ... में नवेली में दर्जित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपर्युक्त के चिन्हित भवन
 मित्र अनुसार निर्माण अवकाश पुनः निर्माण किया जाय।
 (अधिकारी)

100

Revised 10/20/2010



मगर अभियंता (मयक)
विकास प्रकल्प, वाराणसी ।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिराया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्राचीन पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, छौप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

..... की दृष्टि से स्पष्ट होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा कि तबका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति पत्र

पत्र संख्या 20/2019

गृह निर्माणार्थ अनुमति पत्र

यह अनुमति पत्र का यह भाग केवल और केवल अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्वये ही जारी है। किन्तु इसका अर्थ यह न करना चाहिये कि यह पूर्ण के समकक्ष है जिस पर अधिकार को इस किसी संकलन में जो कानूनी विचार या कानूनी अधिकारों का प्रतिपक्ष प्रमाण कार्य के प्रतिपक्ष प्रमाणकारी पर किसी का कोई अलग प्रमाण प्रमाण यह अनुमति किसी के प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रमाण न रखेगी।

निम्नलिखित अधिकारों के अन्तर्गत यह अनुमति दी जाती है कि योग्य कि

निम्नलिखित का नाम श्री श्री. सुनील कुमार संख्या 2/2019 और श्री. सुनील कुमार संख्या 2/2019 के नाम पर जारी है। उपाध्यक्ष के विनिर्दिष्ट भाग में श्री. सुनील कुमार के नाम पर जारी है। उपाध्यक्ष के विनिर्दिष्ट भाग में श्री. सुनील कुमार के नाम पर जारी है।

दिनांक

20



वाराणसी विकास क्षेत्र (महानगर)
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट - 1. यह स्वीकृति पत्र केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आजमानुसार नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे विचारवाला आ सकता है अथवा इसे बंद कर दिया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण ध्यान का भाग प्रणीत होना। यदि कोई इमारत किता उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र से सड़क, नाली या नाली पर बड़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, शीश नये अथवा पुनः निर्माण को लोडकर उस ऊपर फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े दिखावाड़े अथवा उसके आकार के कारण टक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से भरभरा करवाकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलर्स के नियम 1970) का अंशधन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. श्राद्धों को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो वह तत्काल जानगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वह न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति-पत्र

दिनांक 06/04/11

सं० 94/न० अ० वि०

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री आराजी संख्या मौजा पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या मे नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



06/4/11
जनरल मैनेजर (अवकाश)
विकास क्षेत्र, वाराणसी
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोंप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जाये तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

दिनांक 20-8-20

सं० 134/न० अ० वि०

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी। निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि (क्षेत्रीय) की

पिता/पति का नाम श्री 226 आराजी संख्या 226
वाई 226 में नकशे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपर्युक्त के विहित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाये।

मुहर

दिनांक 20



संयोजक अधिकारी
विकास क्षेत्र विकास,
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आगानुपूर्वक नहीं बने तो उपर्युक्त द्वारा उसे गिराया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जाये। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपर्युक्त की अनुमति प्राप्त किये निर्मित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवलोकन इमारत को उपर्युक्त द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बरफा, लोड, सीढ़ी, झोंप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति दाने उसके साथ नकशे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भवन (जो भवन के अगलबगल पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा सीधे कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जाये, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का अलंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपर्युक्त की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपर्युक्त को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान सभा के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नञूल, प्राधिकरण अथवा उपरीक्षारी अनुमति के भूमि पर निर्माण हटा दे दी गई हो तो वेध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन यदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अतिक्रमण क्षेत्र में किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी गैर अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा और हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ३० प्र० नगर योजना और विद्युत अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय विचार या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलित्व या स्वामित्व के अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित भूमिस्वामी के आधार पर अनुमति दी जाती है कि भूमि / की
 भूमि/प्लॉट का नाम श्री आरजी संख्या ग्रेड
 कार्य में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष निहित भवन
 वि० अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



जगर कुमियठला (मयज)
 कृ. उपाध्यक्ष
 विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण
 वाराणसी

नोट : १- यह स्वीकृति पत्र केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोंप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २९३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९७३ (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।